प्रेस नोट **25/04/2024**

<u>दिनांक 22/23.04.2024 की रात थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत कटघरा महलु में हुई बुजुर्ग की हत्या में संलिप्त अभियुक्त(मृतक का लडका) गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद</u>-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 25.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकडीकोल तिराहे के पास से मु0अ0सं0 88/24 धारा 302 भादवि में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त मृतक का लडका अरविन्द राय पुत्र स्व0 बाबुराम राय निवासी कटघरा महलु थाना मधुबन जनपद मऊ की निशान देही पर आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कडाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि परिवारिक सम्पति/पैसे के विवाद को लेकर गुस्से में आकर दिनांक 22.04.2024 की रात को कुल्हाडी से अपने पिता की गले पर मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द राय पुत्र स्व0 बाबुराम राय निवासी कटघरा महलु थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद आलाकत्ल कुल्हाडी।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 25.04.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को जरिये मुखबिर की सूचना पर रामनगर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 98/24 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त शिवराज कुमार पुत्र मनोहर पंडित निवासी खजुरी सौरबाजार वार्ड न0 09 थाना बैजनाथपुर जनपद सहरसा बिहार, दक्षिण टोला पुलिस द्वारा दिनांक 24.04.2024 को जरिये मुखबिर की सूचना पर मतलूपुर मोड के पास से मु0अ0सं0 135/23 धारा 363,504,506,376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आकाश कुमार पुक्ष सुबेदार निवासी रामपुर अच्छार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

80 पाउच (16 लीटर) अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार-

आज दिनांक 25.04.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मकदुमपुर मलिक के पास से रामलाल पुत्र झिरी निवासी मकदुमपुर मलिक थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 80 पाउच (16 लीटर) अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 162/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।